specific approval of the Govt. in case to case basis.

Reforms in PSUs

4964. SHRI SOM PAL : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as a part of public sector reforms Government have to give off some major public sector undertakings, including the HMT Limited and organise them into more than one independent units;

(b) whether it is also a fact that some of these are being injected with foreign collaborations;

(c) if so, what are the details of such units and the arrangements being made in respect of each of them; and

(d) with what objective in view these reforms are being introduced ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) to (d) Restructuring studies were conducted in case of three PSEs namely, Bharat Yantra Nigam Ltd., Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd., and HMT Ltd. The World Bank had provided Japanese grants for restructuring studies of these PSEs. The basic objectives of restructuring include re-grouping of the activities of the holding companies, augmentation of business activity to result in boosted turnover, reduction of surplus manpower and adoption of VRS schemes, setting up of industrial re-conversion fund for the identified redundant plants and attainment of global standards in capital goods etc.

Projected increase in industrial growth

4965. SHRI BHUPINDER SINGH MANN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what is the projected increase in industrial growth for the year 1994-95;

(b) what are the actuals presently; and

(c) what was the target set for the same during 1993-94 and the actual performanes achieved thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) to (c) As per be quick estimates of Index of Industrial Production, the overall rate of growth of Industrial Production during April-December, 1993 is 2.4% over the corresponding period last year. The target for overall industrial rates of growth are not fixed by the Government on an annaul basis and no target hag been projected for the likely industrial growth during 1994-95.

साबुन निर्माताओं पर उत्पाद शुल्क का प्रभाव

4966. श्री राम जेठमलानी :

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बड़ी संख्या में इकाइयां बिजली का उपयोग किये बिना साबुन और डिटरजेन्ट पाउडर बना रही हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन इकाइयों को गत वर्षों के दौरान खादी और ग्राम उद्योगों की तरह कुटीर उद्योगों की श्रेणी में रखा गया था,

(ग) क्या वर्ष 1994-95 के केन्द्रीय बजट में उक्त इकाइयों द्वारा उत्पादित उत्पादों पर भी उत्पाद-शुल्क लगा दिया गया है,

(घ) यदि हां, तो क्या इन उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क लगाने से अर्थव्यवस्था और इन इकाइयों के प्रबन्ध पर भी प्रभाव पड़ेगा,

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(च) क्या इस साबुन और पाउडर उत्पादक उद्योग को मौजूदा वित्तीय संकट से बचाने के लिये इन इकाइयों को सुविधाएं प्रदान कराने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) देश भर में फैले

हुए अनेक लघु उद्योग एकक बिजली की सहायता के बगैर ही कपड़े धोने का (लाण्ड्री) साबुन और डिटर्जेन्ट पाउडर बनाते हैं।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, डिटर्जेन्ट की टिकिया और डिटर्जेन्ट पाउडर बनाये जाते हैं। इनमें से केवल कपड़े धोने का साबुन ही बिजली का उपयोग किये बिना बनाया जाता है।

(ग) से (ङ) अधिसूचना सं. 28/64-सी ई, दिनांक 1-3-64 के अधीन बिजली की सहायता के बिना बनाये जाने वाले साबुन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में मिलने वाली छूट को बजट 1994-95 में समाप्त कर दिया गया है किन्तु अधिसूचना नं. 1/93-सी ई, के अधीन साबुनों पर सामान्य लघु उद्योग छूट योजना लागू होती है। उस योजना के अधीन लघु उद्योग एककों को एक वर्ष में अपने 30 लाख रुपये तक के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क नहीं देना पड़ता और उससे अधिक 75 लाख रु. तक के उत्पादन पर भी उत्पाद शुल्क में कुछ छूट मिलती है।

बजट से पहले बिजली की सहायता के बिना बनाए जाने वाले डिटर्जेन्ट पर कोई छूट नहीं मिलती थी। बजट 1994-95 में डिटर्जेन्ट पाउडर पर लगने वाले उत्पाद शुल्क की दर को 35% से घटा कर 30% कर दिया गया है। अधिसूचना सं. 1/93-सी ई, के अधीन डिटर्जेन्ट्स सामान्य लघु उद्योग योजना के अन्तर्गत ही आते हैं।

(च) उपर्युक्त को देखते हुए बजट 1994-95 के अधीन उत्पाद शुल्क में जो परिवर्तन किये गये हैं उनसे साबुन उद्योग के प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

विदेशी निवेशकों को 250 परियोजनाओं की पेशकश

4967. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री वीरेन जे. शाह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अप्रैल, 1994 के दैनिक समाचार-पत्र "आब्जर्वर" में "250 प्रोजेक्ट्स टू बी आफर्ड टू फोरन इन्वेस्टर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने लघु और मध्यम दर्जे के औद्योगिक क्षेत्र में 250 परियोजनाओं के संचालन कार्य को विदेशी पूंजी-निवेशकों या संयुक्त पूंजी निवेशकों को सौंपने का निर्णय किया है ?

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाएं लघु और मध्यम दर्जे के क्षेत्रों से संबंधित हैं और इनमें कुल कितना पूंजी निवेश किए जाने की संभावना है और ये परियोजनाएं किस-किस उद्योग से संबंधित हैं तथा ये उनसे कहां तक संबंधित हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी हां। इंडिया इनवेस्टमार्ट 94 का आयोजन भारत सरकार तथा यूनाइटेड नेशन्स इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन (यूनिडो) दवारा संयुक्त रूप से भारत की प्रमुख औद्योगिक एसोसिएशनों और विश्व-व्यापी निवेश संवर्धन कार्यालयों के नेटवर्क के सहयोग से किया गया था। इण्डिया इनवेस्टमार्ट इस समय यूनिडो द्वारा चलाए जा रहे समेकित निवेश कार्यक्रम का अंग है।
(ख) और (घ) भारत सरकार तो उपयुक्त विदेशी संयुक्त उद्यम साझेदार या तकनीकी/वित्तीय सहयोग तलाश करने में भारतीय लघु और मध्यम उद्योगों को सुविधा मात्र दे रही है ताकि वे नये उद्योग स्थापित कर सकें या विद्यमान उद्योगों का विस्तार/आधुनिकीकरण कर सकें तथा/अथवा विश्व-बाजार में अच्छी पहुंच बना सकें। भारत सरकार की भूमिका तो विदेशी तथा स्वदेशी निवेशकों की एक दूसरे के साथ बैठक आयोजित कर देने तक ही सीमित है ताकि उन्हें यथोचित समझौते करने में सहायता मिले।

(घ) लघु सम्बद्ध अधिकांश परियोजनाएं लघु अथवा मध्यम क्षेत्र की हैं। परियोजनाओं की क्षेत्रवार संख्या और परिकल्पित निवेश का विवरण संलग्न है।